

41/16/1 उपनिरीक्षक / प्रधान को उपनिरीक्षक / सहायक
को आदेशी को उपनिरीक्षक / सहायक
को उपनिरीक्षक / आदेशक की ओर से अपराध
को 22-11/1 अंतर्गत धारा 213 के अधीन दण्डनीय
भा 0 द 0 सं 0 / में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
राज्य द्वारा ए 0 डी 0 पी 0 ओ 0 श्री 213 के अधीन उप 0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण के लेख दुरु दस्त
निवासी / निवासीगण के लेख
शाना जिला राज्य से अधिवक्ता
उपरिथत। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री द्वारा गोरखपुर / तकालतनागा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा 0 द 0 सं 0 / 213 के अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द 0 प्र 0 सं 0 के अधीन न्याय न्याय का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आदेशिक कर्मी 60346/18 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द 0 प्र 0 सं 0 के द्वारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पढ़ पढ़ने के लिए उद्देश्य प्रत्येक निशुल्क दिलाया जावे।

वृत्ति आगम जमानत पत्र के अन्तर्गत / अभियुक्तगण को और से 7000 / - (सप्त हजार) न इनकी ही शर्त के अधिनियम का पालन करने के लिए न्याय न्याय का आदेश दिया जावे।

चूँकि मागला सक्षित विचारणीय है। अतः राक्षित विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

भा0द0सं0 /

धारा अभियुक्त/अभियुक्तगण की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखवद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से दंडित करारकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रुपये राजसात विनये जायें। रांपत्ति 22 मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि रु. 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र. 5624 रसीद क्र. 88 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)